न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 15/19 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. कंवरसिंह पुत्र झूथा जाति अहीर निवासी ग्राम सिलारपुर तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान

:---- प्रतिवादी/अपीलांट

बनाम

1 लालाराम पुत्र झूथा जाति अहीर निवासी ग्राम सिलारपुर तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान

:--- वादी/असल रेस्पो0

2 धनपत पुत्र झूथा जाति अहीर निवासी ग्राम सिलारपुर तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान

:---प्रतिवादी/तरतीबी रेस्पो0

3 उप पंजीयक नीमराना तहसील नीमराना जिला अलवर

4 लैंड होल्डर तहसीलदार नीमराना जिला अलवर

:--प्रतिवादी/तकमीली रेस्पो0

अपील विरूद्ध प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराना दिनांक 12.7.2017

16/12

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री हवा सिंह यादव

2. वकील रेस्पो0 सं0 1 :– श्री दिनेश यादव

निर्णय दिनांक 16.12.2019

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराना द्वारा राजस्व वाद संख्या 2147/2015 में पारित निर्णय दिनांक 12.7.17 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद बाबत विभाजन व हुकम इम्तनाई दवामी प्राथमिक तौर पर डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 539/590 रकबा 1.55 हेक्टेयर वाके ग्राम नीमराना तहसील नीमराना वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 की समभाग में संयुक्त कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है, जिसमें वादी का 1/3 भाग, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 भाग तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 भाग है । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत करते हैं । अच्छी अच्छी आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं । शामलात में खेती करने में बाधा उत्पन्न करते हैं । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त वाद पत्र प्राथमिक तौर पर डिक्री किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यो को दोहराते हुये तर्क दिये कि अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व मुझ अपीलांट पर ना तो सम्यक रूप से तामील हुई थी और ना ही मुझको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया था । तामील कुनिन्दा से साजाबाज होकर चस्पान्दगी से तामील करवा दी गई । जबकि मकान खुला हुआ बताया गया था । चस्पान्दगी से तामील केवल बंद मकान में ही की जा सकती है । जब मकान खुला हुआ था तो निश्चित्त रूप से मकान के अन्दर कोई ना कोई तो होगा । ऐसी स्थिति में नोटिस चस्पा करने की क्या आवश्यकता थी । प्रतिपक्ष को

16/12

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

बिना सुने पारित किया गया निर्णय विधिसम्मत नहीं है । विवादित आराजी के तरफ दक्षिण एवं पश्चिम की ओर रास्ता बताया गया है, जबकि तरफ दक्षिण में तो कोई रास्ता है ही नहीं । रास्ता केवल पश्चिम की ओर है, जिस ओर वादी रेस्पो0 अपना हिस्सा बता रहा है । इस तरह विभाजन नहीं हो सकता । जब किसी भूमि का बंटवारा किया जाता है तो इस तरह किया जाना चाहिये कि सभी पक्षकारों को समान रूप से रास्ता मिल सके । पश्चिम की ओर वादी को भूमि देने से उसे तो रास्ता मिल जायेगा लेकिन हमको रास्ता नहीं मिलेगा । इसलिये वादी रेस्पो0 ने जो बाहमी बटवारा होना बताया है, वह गलत है । मैंने विवादित आराजी के पश्चिमी हिस्से पर उत्तर से दक्षिण बाउण्ड्रीवाल आसदि बनाकर बोरिंग कर रखी है, जिसे भी वादी हडपना चाहता है । कुर्रेजात रिपोर्ट में भी अंकित किया गया था कि इस तकासमा से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 नाखुश है । इससे भी स्पष्ट है कि विभाजन गलत हुआ है । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

4 विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 का कथन है कि प्रकरण में अभी प्राथमिक डिक्री पारित हुई है । कुर्रे कायमी रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री पारित होनी शेष है । इनके जो भी ऐतराज है, तहत अदालत में प्रस्तुत करें । अपील प्रस्तुत करने का राईट नहीं है । इनकी प्रोपर तामील हुई है । परन्तु ये जानबूझकर तहत अदालत में उपस्थित नहीं हुये । अब हमको परेशान करने की नियत से यह अपील प्रस्तुत की है, वो भी मियाद बाहर । देरी का कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया है । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 जवाब बहस में विद्वान वकील अपीलांट का पुनः कहना है कि हम पर प्रोपर तामील नहीं हुई थी । इसलिये अपीलाधीन निर्णय की हमको समय पर जानकारी नहीं थी । दिनांक 3.1.2019 को जानकारी होने पर अपील प्रस्तुत कर दी । देरी को कंडोन कराने हेतु मैंने दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । अतः जानकारी के अभाव में हुई देरी को कंडोन किया जावे । यहां मेरा एक ओर निवेदन है कि श्रीमान जी तहत अदालत का अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन फरमावें । यह निर्णय ऐसे लगता है जैसे अंतिम रूप से डिक्री पारित कर दी गई हो । स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री अंतिम डिक्री में पारित की जाती है, ना कि प्राथमिक डिक्री में । परन्तु तहत अदालत

16/12

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

ने गौर नहीं किया और प्राथमिक डिक्री में ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित कर दी ।

6 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर लिबरल व्यू अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । अतः प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में एवं मियाद बिन्दू पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों पर विश्वास करते हुये लिबरल व्यू अपनाया जाता है और देरी को कंडोन किया जाता है ।

7 इसके प्रकरण की मेरिट्स पर गौर किया । प्रतिवादी अपीलांट कंवरसिंह को तहत अदालत द्वारा जारी नोटिस पर तामील कुनिन्दा ने रिपोर्ट की है कि कंवर घर पर मौजूद नहीं मिला, नोटिस प्रति उसके खुले मकान पर चस्पा किया । ऐसा ही अंकन प्रतिवादी झूथाराम के नोटिस पर भी किया गया है । यहां गौरतलब तथ्य यह है कि जब घर पर कोई नहीं है तो मकान खुला हुआ कैसे है । और जब मकान खुला हुआ है तो घर पर घर का कोई ना कोई सदस्य जरूर होगा । इस प्रकार उक्त तामील में संदेह प्रकट होता है । तामील के सम्बन्ध में आदेश 5 के नियमों की पालना नहीं हुई है ।

8 इसके पश्चात तहत अदालत के अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । उन्होंने अपने निर्णय में कुर्रे कायमी रिपोर्ट तलब करने के साथ साथ खाता विभाजन, कर लगान एवं स्थाई निषेधाज्ञा का भी आदेश पारित किया है, जो कि विभाजन के नियमों के विपरीत है, क्योंकि कुर्रेजात रिपोर्ट आने के बाद अंतिम डिक्री पारित की जाती है, उस अंतिम डिक्री में ही खाता अलग अलग कायम किया जाता है, कर लगान निर्धारित किया जाता है । खाता अलग अलग कायम कर सह खातेदारों को कब्जा दिया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है । परन्तु विद्वान तहत अदालत ने विभाजन के इन नियमों की ओर गौर नहीं किया और प्राथमिक डिक्री में ही अंतिम डिक्री वाले ये आदेश पारित कर दिये, जिसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता । लिहाजा अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री का आंशिक पार्ट खारिज किये जाने योग्य होने से अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है ।

9 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा तहत अदालत के अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.7.17 में

16/12

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

से प्रतिवादीगण को सदैव के लिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी को मिलने वाले खसरे/रकबे/कब्जे काश्त/हक अधिकार में किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावें, वाले आदेश को निरस्त किया जाता है तथा तहत अदालत को प्रकरण पुनः प्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि वो उभयपक्षों के दावा, जवाब दावा के आधार पर सुनवाई करके पुनः प्राथमिक डिक्री से आदेश प्रदान कर विभाजन की डिक्री पारित करें । उभयपक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वो वास्ते सुनवाई तहत अदालत में दिनांक 15.1.2020 को उपस्थित हो ।

10 निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/12/19

(कमल राम मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर